# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 220/2022

प्रार्थी :–

1. सुशीलादेवी पत्नी जुगलकिशोर,
2. पदमादेवी पत्नी रामचन्द्र
3. उषादेवी पत्नी जयप्रकाश
4. उमादेवी पत्नी महेन्द्र कुमार
5. रेखादेवी पत्नी ललित कुमार, सभी जातियान अग्रवाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पवनीदेवी पत्नी टीकमाराम, जाति कलबी निवासी बुडीवाडा।
2. भमराराम उर्फ भंवराराम पुत्र सरदाराराम, जाति भील
3. आम्बाराम पुत्र सरदाराराम
4. चौथाराम पुत्र सरदाराराम
5. सूजाराम पुत्र सरदाराराम
6. जालाराम पुत्र सरदाराराम
7. मनाराम पुत्र सरदाराराम
8. रामचन्द्र पुत्र सरदाराराम
9. सुआदेवी पत्नी सरदाराराम सभी जाति भील, निवासी बुडीवाडा
10. ओमाराम पुत्र भट्‌ाराम जाति भील, निवासी टापरा
11. कमला पत्नी सेजाराम, जाति भील, निवासी बुडीवाडा
12. मेथाराम पुत्र सेजाराम जाति भील, निवासी बुडीवाडा नाबालिंग जरिये संरक्षक कमला पत्नी सेजाराम जाति भील, निवासी बुडीवाडा
13. लीलादेवी पत्नी अचलचंद जाति माली, निवासी गांधीपुरा बालोतरा
14. गेबाराम पुत्र गोरखाराम, जाति मेघवाल, निवासी बुडीवाडा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।
15. राजस्थान सरकार भू. धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

01. श्री करण सिंह सोलंकी , प्रार्थीगण अधिवक्ता

02. श्री अचलराम थोरी विप्रार्थी संख्या 1 से 10

विवेक व्यास

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.......(2)

दिनांक :– 04.04.2023

## 'आदेश'

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा जागसा तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1136/206 व 1403/557 व क्षेत्रफल कमशः 01.15, 24.14 बीघा मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 11 से 14 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 10 की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौजा जागसा तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1136/206 व 1403/557 व क्षेत्रफल कमशः 01.15, 24.14 बीघा अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 14 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 14 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा जागसा तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1136/206 व 1403/557 व क्षेत्रफल कमशः 01,15, 24.14 बीघा अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के वकील ने जबाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया व दौराने बहस निवेदन किया कि राजस्व विभाग के विशेष टीम गठित कर नेखमबंदी करवाई जाएं ।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान [illegible] पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन [illegible] पाया कि मौजा जागसा तहसील पचपदरा मे [illegible] व क्षेत्रफल कमशः 01.15, 24.14 बीघा अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2071–207[illegible] नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 11 ता 15 को बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:06 IST
Reason: SelfAttested

लगातार.......(3)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 09/05/2022 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जागसा तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1136/206 व 1403/557 व क्षेत्रफल कमशः 01.15, 24.14 बीघा अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि विभाग के विशेष टीम गठित कर नेखमबंदी करवाई जाएं, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 04.04.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:06 IST
Reason: SelfAttested